

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 477]

भोपाल, शनिवार, दिनांक 1 सितम्बर 2018—भाद्र 10, शक 1940

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 1 सितम्बर 2018

क्रमांक एफ 10-5/2011/23/यो.आ.सां. संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् की सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् अधिकारियों एवं कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम, 2018 है।
- (2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं .— इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —
- (क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (क्रमांक 44 सन् 1973);
- (ख) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक में उल्लिखित नियुक्ति प्राधिकारी;
- (ग) "अनुशासनिक प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अनुसूची-एक के कॉलम (7) में उल्लिखित प्राधिकारी;
- (घ) "कार्यपालक समिति" से अभिप्रेत है, नियम 28 के अधीन गठित समिति;
- (ङ) "कार्यपालक निदेशक" से अभिप्रेत है, कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद्;
- (च) "शासी निकाय" से अभिप्रेत है, नियम 3 के अधीन गठित समिति;
- (छ) "सरकार" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश सरकार;
- (ज) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा यथा संशोधित विनिर्दिष्ट अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिक;
- (झ) "अन्य परिलब्धियां" से अभिप्रेत है, शासी निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की गई परिलब्धियां;
- (ञ) "परिषद्" से अभिप्रेत है, जन अभियान परिषद्;
- (ट) "पदोन्नति समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-चार में उल्लिखित समिति;
- (ठ) "अनुसूची" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची;
- (ड) "अनुसूचित जातियां" से अभिप्रेत है, कोई जाति, मूलवंश या जनजाति अथवा जाति, मूलवंश या समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;

- (ढ) "अनुसूचित जनजातियां" से अभिप्रेत है, कोई जनजाति या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजाति या जनजाति समुदाय का भाग या उसमें का यूथ, जिसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो;
- (ण) "छानबीन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों की अनुसूची-पांच में उल्लिखित समिति;
- (त) "चयन समिति" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची-चार के कॉलम (5) में उल्लिखित समिति ;
- (थ) "चयन एजेंसी" से अभिप्रेत है, परिषद् की कार्यपालिक समिति द्वारा समय-समय पर चयन के लिए विहित कोई संस्था, प्राधिकरण, सार्वजनिक उपक्रम इकाई अथवा स्वशासी निकाय;
- (द) "सेवा" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद् सेवा;
- (ध) "राज्य से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य।

3. विस्तार तथा लागू होना.-

मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन .-

सेवा निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर गठित होगी, अर्थात् :-

- (1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनुसूची-एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से अथवा स्थानापन्न रूप में धारण कर रहे हों;
- (2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा में संविदा आधार पर या नियमित रूप से भर्ती किए गए हों;

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गए हों तथा परिषद् के अधीन कार्यरत् समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी परिषद् के कार्यरत् अधिकारी एवं कर्मचारी समझे जाएंगे।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि.—

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी:

परन्तु परिलब्धियां, चिकित्सा भत्ते तथा यात्रा भत्ते का भुगतान शासी निकाय के विनिश्चय के अनुसार होगा।

6. भर्ती का तरीका.—

(1) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात्, अनुसूची—एक में उल्लिखित पदों पर सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात् :—

(क) अनुसूची—दो में कॉलम (4) एवं (5) में उल्लिखित परीक्षा द्वारा अथवा साक्षात्कार द्वारा अथवा दोनों द्वारा भरे जाएंगे;

(ख) अनुसूची—चार में यथा दर्शित सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) सेवानिवृत्त शासकीय सेवक को राज्य सरकार में लागू ऐसे निबंधनों तथा शर्तों पर संविदा नियुक्ति द्वारा;

(घ) ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों जो इन नियमों के प्रवृत्त होने के पूर्व परिषद् द्वारा नियुक्त हो चुके हैं और 3 वर्षों की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हैं; सीमित विभागीय परीक्षा अथवा साक्षात्कार द्वारा, छानबीन समिति की अनुशंसा पर नियुक्त किया जाएगा।

(2) उप-नियम (2) के खण्ड (ख) या (ग) के अंतर्गत भर्ती किए गए व्यक्तियों की संख्या, किसी भी समय, अनुसूची—दो में दर्शित प्रतिशतता से अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, किसी विनिर्दिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जो एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए भरी जानी है ऐसी रीति में भरी जाएगी जैसीकि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए।

(4) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों, को जिन्हें भर्ती की विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना अपेक्षित हो, भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर, सरकार द्वारा अवधारित की जाएगी।

(5) उप-नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए, ऐसा करना अपेक्षित हो, तो सरकार सेवा में भर्ती के उन तरीकों से जो उक्त उप-नियम में विनिर्दिष्ट हैं से

भिन्न ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गए आदेश द्वारा विहित करे।

7. सेवा में नियुक्ति. —

इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. सीधी भर्ती हेतु पात्रता की शर्तें. —

परीक्षा में चयनित/उपस्थित होने के क्रम में अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:—

(1) आयु—

(क) न्यूनतम तथा अधिकतम आयु की सीमा अनुसूची-तीन में दर्शाए अनुसार होगी। आयु की संगणना विज्ञापन के वर्ष की प्रथम छःमाही में होने की दशा में, पूर्व की पहली जनवरी को की जाएगी तथा विज्ञापन के वर्ष की अंतिम छःमाही में होने की दशा में, आगामी जनवरी के प्रथम दिवस को की जाएगी।

(ख) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र के अनुसार मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारियों और राज्य के निगम/मण्डल, परिषदों, स्वशासी निकायों के कर्मचारियों, आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित कर्मचारियों को उच्चतर आयु में शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा।

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 9 के अधीन तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा।

(घ) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों की अधिकतम उच्चतम आयु सीमा शिथिलनीय होगी।

(ङ) मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य सिविल सेवा और पद तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में आरक्षण) नियम, 1985 के नियम 5 के उपबंधों के अनुसार मूल निवासी भूतपूर्व सैनिकों की अधिकतम उच्चतम आयु सीमा शिथिलनीय होगी।

- (च) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों के अनुसार निम्नलिखित प्रवर्गों के लिए उच्चतर आयु में शिथिलीकरण अनुज्ञेय होगा:-
- (एक) विधवा/निराश्रित महिला तथा तलाकशुदा महिला;
- (दो) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति;
- (तीन) परिवार नियोजन कार्यक्रम के अधीन ग्रीन कार्ड धारक;
- (चार) अभ्यर्थी ; जो "विक्रम पुरस्कार" धारक हों ;
- (पांच) अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी;
- (छह) सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य प्रवर्ग।

(2) शैक्षणिक अर्हताएं -

अभ्यर्थियों के पास अनुसूची-तीन के कॉलम (5) में विहित शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिए।

(3) फीस -

अभ्यर्थी को चयन एजेंसी द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं.-

- (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन में उसके उपस्थित होने के लिए निरर्हता माना जा सकेगा।
- (2) कोई भी अभ्यर्थी सेवा में पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो।
- (3) पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हैं और महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया है जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी है, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी।
- (4) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हों, जिनमें से एक का जन्म दिनांक 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु कोई भी ऐसा अभ्यर्थी, जिसकी पहले से ही एक जीवित संतान हो तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हत नहीं होगा।

- (5) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु जहां किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध किसी न्यायालय में ऐसा मामला लंबित है, तो उसकी नियुक्ति आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखी जाएगी।

10. अभ्यर्थी की पात्रता के संबंध में विनिश्चय.—

चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अपात्रता के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

11. सीधी भर्ती.—

- (1) अनुसूची एक में दर्शाए गए अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों पर अभ्यर्थियों का चयन स्वीकृत पद के अनुरूप रिक्तियों पर सीधी भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से विचारोपरांत नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर किया जाएगा।
- (2) चयन द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए परीक्षा, ऐसे निदेशों के अंतर्गत संचालित की जाएगी जैसे कि शासी निकाय अथवा कार्यकारिणी समिति समय-समय पर जारी करे।
- (3) सीधी भर्ती हेतु परीक्षा के पश्चात् अभ्यर्थियों के साक्षात्कार/चयन हेतु एक साक्षात्कार/चयन समिति गठित की जाएगी। साक्षात्कार/चयन समिति, साक्षात्कार के प्राप्त अंकों तथा प्रत्येक पद हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों के अनुपात का निर्धारण करेगी :

परन्तु, यदि साक्षात्कार/चयन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य से भिन्न सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य साक्षात्कार/चयन समिति में सम्मिलित किया जाएगा और सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

- (4) मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों के अनुसार सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अनुशंसित अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थियों को, जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

- (6) मध्यप्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (7) ऐसे मामलों में, जहां सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव एक आवश्यक शर्त हो और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो सकेंगे, वहां नियुक्ति प्राधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग से परामर्श से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अनुभव की शर्तों को शिथिल कर सकेगा।
- (8) यदि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हैं, तो शेष रिक्तियां अन्य अभ्यर्थियों से नहीं भरी जाएंगी और वे रिक्तियां अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के आगामी चयन के लिए आरक्षित रखी जाएंगी।
- (9) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (10) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिए पद आरक्षित रखे जाएंगे।
- (11) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय अभ्यर्थी जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जाएगा जिस क्रम से उनके नाम, नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आए हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक स्थान (रैंक) कुछ भी क्यों न हो।
- (12) सीधी भर्ती के लिए आवेदन पत्र ऑनलाईन अथवा ऑफ लाईन प्राप्त किए जाकर सूचीबद्ध किए जाएंगे। भर्ती हेतु मूल्यांकन की प्रक्रिया का निर्धारण करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होगा:
12. सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.—
- (1) नियुक्ति प्राधिकारी उन अभ्यर्थियों की, अर्हता के क्रम में एक सूची तैयार तथा अग्रेषित करेगा, जो ऐसे मानक से अर्ह हों, जैसाकि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची, जो यद्यपि उस मानक से अर्ह नहीं है परन्तु जिन्हें प्रशासन में दक्षता बनाए रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सेवा में नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया हो, और यह सूची सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भी प्रकाशित की जाएगी।

- (2) न्यूनतम अर्हता पद अनुसार की गई वरीयता सूची में यदि दो अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो वांछनीय अर्हताओं में से वरिष्ठ उपाधि धारक अथवा अधिक अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। अनुभव प्रमाण-पत्र को मान्य करने हेतु नियुक्ति प्राधिकारी सक्षम होगा।
 - (3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए, उसी क्रम में विचार किया जाएगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आए हों।
 - (4) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से उसे नियुक्ति के लिए तब तक कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि जन अभियान परिषद् का, ऐसी जांच के पश्चात् जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
 - (5) चयन सूची, उसके जारी किए जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के लिए विधिमान्य रहेगी जो जन अभियान परिषद्/चयन संस्थान जैसाकि विहित किया जाए, की सहमति से छह माह की कालावधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी।
 - (6) नियुक्ति आदेश के जारी किए जाने के पूर्व, सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार चरित्र सत्यापन का शपथ पत्र एवं जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित होगा।
 - (7) चयन सूची प्रकाशित होने के पश्चात् भी उम्मीदवार की पात्रता में गलत जानकारी दिया जाना/अपात्र होना पाए जाने पर चयन अस्वीकार किया जा सकेगा।
13. **परिवीक्षा. -**
परिषद् के अधीन रिक्त पदों के विरुद्ध छानबीन समिति की अनुशंसा पर नियमित/सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति 2 वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर की जाएगी:
परन्तु, परिवीक्षा कालावधि नियमानुसार तथा सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार समाप्त की जाएगी।
14. **सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति. -**
किसी रिक्त की दशा में रिक्त पद सीधी भर्ती द्वारा भरे जा सकेंगे तथा ऐसे पदों के लिए अर्हताएं अनुसूची-तीन में उल्लिखित हैं।

15. पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.—

- (1) पदोन्नति कोटा की रिक्तियों में पदोन्नति करने की प्रक्रिया सामान्य प्रशासन विभाग और जन अभियान परिषद् द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (2) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति के लिए चयन करने हेतु अनुसूची-चार में उल्लिखित सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विभागीय पदोन्नति समिति गठित की जाएगी :

परन्तु, यदि विभागीय पदोन्नति समिति के शीर्ष सदस्य को छोड़कर, अन्य सदस्यों में से कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो ऐसी दशा में, उसी प्रास्थिति का एक सदस्य विभागीय पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जाएगा और पदोन्नति समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

- (3) अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अभ्यर्थी की पात्रता, चयन प्रक्रिया तथा पदोन्नति द्वारा नियुक्ति नियमानुसार इसके कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट अनुसार तथा परिषद् द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार होगी।
- (4) पदोन्नति आदेश पर, नियुक्ति प्राधिकारी का इस आशय का पृष्ठांकन होगा कि मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों और राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम एवं नियमों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए अनुदेशों का अनुपालन किया गया है और उसे उक्त अधिनियम की धारा 6 की खण्ड (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

16. पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें.—

- (1) समिति, उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को उस पद पर जिससे कि पदोन्नति की जानी है या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित किए गए किसी अन्य पद पर/पदों पर स्थानापन्न रूप से या मूल रूप से उतने वर्षों की सेवा पूर्ण कर ली हो जैसाकि अनुसूची-चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट हैं और उप-नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र आते हों :

परन्तु किसी कनिष्ठ व्यक्ति को उससे वरिष्ठ व्यक्ति पर अधिमान देकर पदोन्नति के लिए केवल इस आधार पर विचार नहीं किया जाएगा कि उसने इस उप-नियम के अधीन विहित सेवा की कालावधि पूर्ण कर ली है।

17. उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची तैयार करना.—

- (1) विभागीय पदोन्नति समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो नियम 15 में विहित शर्तों को पूरा करते हों, और जिन्हें समिति द्वारा पदोन्नति के लिए उपयुक्त ठहराया गया हो और यह सूची, चयन सूची तैयार किए जाने की तारीख से एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी। पूर्वोक्त कालावधि के दौरान उद्भूत होने वाली अनवेक्षित रिक्तियों की पूर्ति के लिए, उक्त चयन सूची में सम्मिलित 25 प्रतिशत व्यक्तियों की संख्या की एक आरक्षित सूची, भी तैयार की जाएगी।
- (2) चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी नियमों तथा अनुदेशों के अनुसार होंगे।
- (3) ऐसी चयन सूची तैयार करते समय, सूची में सम्मिलित व्यक्तियों के नाम, अनुसूची-चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पदों में वरिष्ठता के क्रम में रखे जाएंगे।
- (4) इस प्रकार तैयार की गई सूची को प्रतिवर्ष पुनर्विलोकित तथा पुनरीक्षित किया जाएगा।

18. पदोन्नति हेतु तैयार की गई चयन सूची से सेवा में नियुक्ति. —

चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग में नियुक्तियां उसी क्रम में की जाएंगी, जिस क्रम से उनके नाम सूची में आए हों।

19. सेवानिवृत्ति उपरांत नियुक्ति. —

- (1) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर आवश्यकतानुसार सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को शासी निकाय के अनुमोदन पश्चात् विचारोपरांत नियुक्त किया जा सकेगा।
- (2) अभ्यर्थियों का चयन अनुसूची-एक में दर्शाए अनुसार सेवा में सम्मिलित पदों के लिए आवेदकों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर वरीयता सूची तैयार कर, किया जाएगा बशर्ते कि अभ्यर्थी वांछित अर्हताएं धारित करता हो।
- (3) अनुभव की मान्यता हेतु नियुक्तकर्ता प्राधिकारी सक्षम होगा।
- (4) नियुक्ति प्राधिकारी को शासन द्वारा आरक्षण के लिए जारी अनुदेशों/नियमों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- (5) सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों को ऐसे पदों पर नियुक्त किया जा सकेगा जहां रिक्तियां सीधी भर्ती द्वारा नहीं भरा जा सकी हों।

20. संविदा नियुक्ति और नियमितीकरण.—

(1) संवीक्षा समिति का अनुमोदन के अधीन रहते हुए, परिषद् के अधीन कार्य कर रहे संविदा अधिकारी/कर्मचारी, नियमित आधार पर नियुक्त किए जा सकेंगे और समिति, शैक्षणिक अर्हताओं और आयु के शिथिलीकरण के संबंध में विनिश्चय कर सकेगी और परिषद् के शासी निकाय का निर्णय अंतिम होगा। यदि संवीक्षा समिति में, अध्यक्ष को छोड़कर, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है तो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उसी संवर्ग का एक सदस्य, संवीक्षा समिति में सम्मिलित किया जाएगा और सदस्यों की संख्या में उस सीमा तक वृद्धि की जाएगी। संवीक्षा समिति का स्वरूप और कार्यक्षेत्र अनुसूची-पांच में उल्लिखित है:

परंतु रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त संवीक्षा समिति की अनुशंसा पर 2 वर्षों की परिवीक्षा के लिए की जाएगी और ऐसी परिवीक्षा अवधि को समान्य प्रशासन द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार समाप्त/विस्तारित किया जा सकेगा।

(2) सेवा पर प्रशासकीय नियंत्रण की शक्तियां नियुक्ति प्राधिकारी की होंगी।

21. अधिवार्षिकी आयु.—

अधिकारियों/कर्मचारियों की अधिवार्षिकी आयु के संबंध में राज्य सरकार के नियम परिषद् के अधिकारियों/कर्मचारियों को लागू होंगे।

22. समूह बीमा योजना.— राज्य सरकार द्वारा जारी समूह बीमा योजना के संबंध में अनुदेश सेवा के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

23. अंशदायी भविष्य निधि योजना. —

सेवा के सदस्यों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के उपबंध लागू होंगे।

24. सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं. —

राज्य शासन के कर्मचारियों को स्वीकृत सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं सेवा के सदस्यों को लागू होंगे तथा राज्य शासन की स्थानांतरण पॉलिसी भी सेवा के सदस्यों को लागू होगी।

25. निर्वचन. —

यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत होता है तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

26. शिथिलीकरण.—

इन नियमों में की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति के मामले में, जिसे ये नियम लागू होते हैं, राज्यपाल की ऐसी शक्ति में, जो उसे न्यायसंगत एवं साम्यापूर्ण प्रतीत होती हो, कार्रवाई करने की शक्ति को सीमित या कम करती है :

परंतु कोई मामला ऐसी शक्ति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित शक्ति की अपेक्षा उसके लिए कम अनुकूल हो।

27. निरसन तथा व्यावृत्ति. —

इन नियमों के तत्स्थानी समस्त नियम तथा उनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी नियम इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में, एतद्वारा निरसित किए जाते हैं :

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश या की गई किसी कार्रवाई के संबंध में यह समझा जाएगा कि वह इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है या की गई है।

उक्त नियम दिनांक 20.06.2018 से प्रभावशील होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जितेन्द्र सिंह राजे, उपसचिव.

अनुसूची - एक
(नियम 4 एवं 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनुक्र मांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	पदस्थापना	प्रशासकीय अधिकारी	नियुक्ति प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	कार्यपालक निदेशक	01	अखिल भारतीय सेवा	प्रतिनियुक्ति	राज्य कार्यालय	राज्य शासन	राज्य शासन
2.	निदेशक, प्रशासन	01	प्रथम श्रेणी	प्रतिनियुक्ति 15600-39100+ 6600 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	राज्य शासन	राज्य शासन
3.	निदेशक (सेल)	04	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 6600 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
4.	क्षेत्रीय निदेशक	02	प्रथम श्रेणी	15600-39100+ 6600 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
5.	उप निदेशक	02	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
6.	टास्क मैनेजर (सेल)	12	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
7.	लेखाधिकारी	01	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
8.	संभाग समन्वयक	10	द्वितीय श्रेणी	15600-39100+ 5400 (ग्रेड-पे)	संभाग कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
9.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 4200 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
10.	जिला समन्वयक	51	द्वितीय श्रेणी	9300-34800+ 4200 (ग्रेड-पे)	जिला कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यकारिणी समिति
11.	विकासखंड समन्वयक	313	तृतीय श्रेणी	9300-34800+ 3200 (ग्रेड-पे)	विकासखण्ड स्तर पर	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
12.	स्टेनो	01	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2800 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
13.	अन्वेषक	01	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2800 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
14.	सहायक ग्रेड-1	01	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2800 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
15.	सीनियर डिजाईनर	02	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	9300-34800+ 3600 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
16.	लेखापाल (राज्य स्तरीय)	03	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2400 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

17.	सहायक ग्रेड-2	01	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2400 (ग्रेड-पे)	राज्य कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
18.	लेखापाल (संभाग स्तरीय)	10	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2400 (ग्रेड-पे)	संभाग एवं कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
19.	लेखापाल सह-लिपिक	51	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2100 (ग्रेड-पे)	जिला कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
20.	कम्प्यूटर आपरेटर	01	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2100 (ग्रेड-पे)	राज्य, कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
21.	कम्प्यूटर आपरेटर (सेल)	04	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2100 (ग्रेड-पे)	राज्य, कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
22.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	63	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 1900 (ग्रेड-पे)	राज्य, संभाग एवं जिला कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
23.	लाईब्रेरियन	1	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 2800 (ग्रेड-पे)	राज्य एवं संभाग कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
24.	सहायक ग्रेड-3	11	तृतीय श्रेणी लिपिकीय	5200-20200+ 1900 (ग्रेड-पे)	राज्य एवं संभाग कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक
25.	भृत्य/ चौकीदार	67	चतुर्थ श्रेणी	4440-7740+ 1300 (ग्रेड-पे)	राज्य, संभाग एवं जिला कार्यालय	कार्यपालक निदेशक	कार्यपालक निदेशक

अनुसूची-दो
(नियम 6 देखिए)
भर्ती की प्रक्रिया

अनुक्रमांक	पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या की प्रतिशतता		अन्य अस्थाई (तदर्थ) सेवाओं से स्थानांतरण	अभियुक्तियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा	पदोन्नति		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	कार्यपालक निदेशक	01			-	नियुक्ति शासन द्वारा प्रतिनियुक्ति से
2.	निदेशक प्रशासन	01			-	-
3.	निदेशक (सेल)	04		100 प्रतिशत	-	-
4.	क्षेत्रीय निदेशक	02		100 प्रतिशत	-	-
5.	उप निदेशक	02		100 प्रतिशत	-	-
6.	टास्क मैनेजर (सेल)	12	100 प्रतिशत			
7.	लेखाधिकारी	01	100 प्रतिशत		-	-
8.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	01	100 प्रतिशत		-	-
9.	संभाग समन्वयक	10		100 प्रतिशत	-	-
10.	जिला समन्वयक	51		100 प्रतिशत	-	-
11.	विकासखंड समन्वयक	313	100 प्रतिशत		-	-
12.	स्टेनो	01	100 प्रतिशत		-	-
13.	अन्वेषक	01	100 प्रतिशत		-	-
14.	सहायक ग्रेड-1	01		100 प्रतिशत	-	-
15.	सीनियर डिजाईनर	02	100 प्रतिशत		-	-
16.	लेखापाल (राज्य स्तरीय)	03		100 प्रतिशत	-	-
17.	सहायक ग्रेड-2	01		100 प्रतिशत	-	-
18.	लेखापाल (संभाग स्तरीय)	10		100 प्रतिशत	-	-
19.	लेखापाल सह-लिपिक	51	100 प्रतिशत		-	-
20.	कम्प्यूटर आपरेटर	01		100 प्रतिशत	-	-
21.	कम्प्यूटर आपरेटर (सेल)	04		100 प्रतिशत	-	-
22.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	63	100 प्रतिशत		-	-
23.	लाईब्रेरियन	1	100 प्रतिशत		-	-
24.	सहायक ग्रेड-3	11	75 प्रतिशत	25 प्रतिशत भृत्य संवर्ग से	-	-
25.	भृत्य/ चौकीदार	67	100 प्रतिशत			

अनुसूची-तीन
(नियम 8 एवं 9 देखिए)

सीधी भर्ती के लिए व्यक्ति की आयु एवं अर्हता

अनुक्रमांक	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	विहित शैक्षणिक अर्हता	अनुभव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टास्क मैनेजर (सेल)	25	40	विज्ञान/समाजिक विज्ञान/एम. बी.ए./एम.एस.डब्ल्यू में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर उपाधि।	
2.	लेखाधिकारी	25	40	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से वाणिज्य के साथ स्नातकोत्तर।	
3.	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	25	40	किसी मान्यताप्राप्त संस्था से एम.सी.ए. उत्तीर्ण।	
4.	विकासखंड समन्वयक	25	40	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि एवं हिन्दी एवं अंग्रेजी में कम्प्यूटर का ज्ञान रखने वालों को वरीयता।	किसी प्रतिष्ठित सामाजिक संस्था में 3 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
5.	स्टेनो	25	40	स्नातक एवं लोक शिक्षण संचालनालय से हिन्दी व अंग्रेजी शीघ्रलेखन व मुद्रलेखन उत्तीर्ण। एम. एस. ऑफिस में दक्षता, डी. सी.ए. उत्तीर्ण।	किसी प्रतिष्ठित संस्था में 3 वर्षों का कार्य करने का अनुभव।
6.	अन्वेषक			गणित/सांख्यिकी में द्वितीय श्रेणी के साथ स्नातकोत्तर, एम. एस. ऑफिस में दक्षता।	
7.	सीनियर डिजाईनर	25	40	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं किसी मान्यताप्राप्त संस्था से कोरल ड्रा. फोटोशॉप तथा पेजमेकर में प्रमाण-पत्र।	किसी प्रतिष्ठित संस्था में पेजमेकर, फोटोशॉप, कोरल ड्रा में 3 वर्ष का डिजाईनिंग कार्य करने का अनुभव।
8.	लेखापाल सह-लिपिक	25	40	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य विषय के साथ स्नातक।	अनुसूची-चार के कॉलम (4) में दर्शाए अनुसार
9.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	25	40	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं पी.जी.डी.सी.ए. परीक्षा उत्तीर्ण।	किसी प्रतिष्ठित संस्था में 3 वर्ष का डाटा एन्ट्री का अनुभव।
10.	लाईब्रेरियन			किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से बी.लिब की उपाधि।	
11.	सहायक ग्रेड-3	25	40	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक एवं राज्य शासन से अधिकृत संस्था से कम्प्यूटर टाईपिंग का प्रमाण-पत्र	अनुसूची-चार के कॉलम (4) में दर्शाए अनुसार
12.	भृत्य	25	40	कक्षा 8वीं उत्तीर्ण	
	चौकीदार	25	40	कक्षा 5वीं उत्तीर्ण	

अनुसूची-चार

(नियम 14 देखिए)

पदोन्नति के लिए सेवा अनुभव तथा विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य

अनुक्रमांक	उस पद या सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	उस पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	उस पद पर अनुभव जिससे पदोन्नति की जानी है	चयन समिति का गठन	अभ्युक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	टास्क मैनेजर (सेल)	निदेशक (सेल)	08 वर्ष पद रिक्त होने की दशा में	1. कार्यपालक निदेशक, जन अभियान परिषद् -अध्यक्ष 2. 02 विषय विशेषज्ञ - सदस्य 3. आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी - सदस्य	-
2.	उप निदेशक / संभाग समन्वयक	क्षेत्रीय निदेशक	08 वर्ष	-तदैव-	-
3.	जिला समन्वयक	उप निदेशक / संभाग समन्वयक	08 वर्ष	-तदैव-	-
4.	विकासखंड समन्वयक	जिला समन्वयक	06 वर्ष	-तदैव-	-
5.	सहायक ग्रेड-2 / लेखापाल	सहायक ग्रेड-1	10 वर्ष	-तदैव-	-
6.	सहायक ग्रेड-3 / लेखापाल सह लिपिक	सहायक ग्रेड-2 / लेखापाल	10 वर्ष	-तदैव-	-
7.	डाटा एण्ट्री ऑपरेटर	कम्प्यूटर ऑपरेटर	10 वर्ष	-तदैव-	-
8.	भृत्य	सहायक ग्रेड-3	10 वर्ष	-तदैव-	-

नोट:- ऐसे पद जिसमें पदोन्नति के अवसर पद अनुपलब्धता के कारण नहीं है उनमें शासकीय नियमों के अनुसार समयमान वेतनमान की पात्रता होगी, उसमें द्वितीय श्रेणी के पदों हेतु चयन समिति की प्रकृति अनुक्रमांक 1 पर गठित समिति के अनुसार होगी।

अनुसूची-पांच

(नियम 19 देखिए)

“छानबीन समिति”

1. मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद अधिकारी/कर्मचारियों की भर्ती एवं सेवा की शर्तें नियम-2018 के नियम 20 के अंतर्गत निम्नलिखित 4 सदस्यीय छानबीन समिति गठित की जाएगी, परन्तु यदि छानबीन समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर, नामनिर्दिष्ट किए गए अन्य सदस्यों में से, कोई सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो उसी प्रास्थिति का अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का एक सदस्य छानबीन समिति में सम्मिलित किया जाएगा तथा सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी।

2. छानबीन समिति का स्वरूप :-

- (1) अध्यक्ष
- (2) सदस्य
- (3) सदस्य
- (4) सदस्य (अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग से)
- (5) सदस्य सचिव

- 2.1 छानबीन समिति के अध्यक्ष से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक विकास के क्षेत्र में 25 वर्षों का अनुभव रखता हो,
- 2.2 छानबीन समिति के सदस्य से अभिप्रेत है ऐसे विषय विशेषज्ञ जो सामाजिक विकास के क्षेत्र में 20 वर्षों का अनुभव रखते हों,
- 2.3 छानबीन समिति के सदस्य सचिव से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद का कार्यपालक निदेशक।

3. समिति का कार्यक्षेत्र -

सेवा में नियमितीकरण की प्रक्रिया :- इन नियमों के स्वीकृत होने के पश्चात् परिषद में संविदा पदों पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों (दैनिक वेतन दर पर कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को सम्मिलित करते हुए) को सेवा में नियमितीकरण की प्रक्रिया छानबीन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पूर्ण की जाएगी अर्थात् :-

4. मूल्यांकन का आधार -

अभ्यर्थियों का मूल्यांकन “छानबीन समिति” द्वारा निम्न प्रकार से किया जाएगा :-

क्रमांक	अभ्यर्थियों के मूल्यांकन का आधार	कुल अंक
1.	साक्षात्कार	50
2.	सेवा अवधि	25
3.	गोपनीय चरित्रावली	20
4.	विशेष अर्हता/उत्कृष्ट कार्य	05
योग:-		100

- 4.1 अभ्यर्थियों से साक्षात्कार परिषद की विभागीय गतिविधियों, पूर्व में किए गए विभागीय कार्यों एवं संबंधित विषयों पर विषय विशेषज्ञों द्वारा अभ्यर्थियों से परस्पर चर्चा के आधार पर किए गए मूल्यांकन से किया जाएगा। इसके लिए 50 अंक नियत किए गए हैं। प्रत्येक समिति के सदस्य द्वारा प्रदान किए गए अंकों के औसत के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार के अंक प्रदान किए जाएंगे।

- 4.2 सेवा अवधि से तात्पर्य संविदा सेवा पर नियुक्ति दिनांक से प्रत्येक सफल वर्ष (सफल वर्ष से आशय 1 जनवरी से 31 दिसम्बर से है) के लिए 2.5 अंकों का निर्धारण से है। इस हेतु अधिकतम 25 अंक नियत किए गए हैं।
- 4.3 गोपनीय चरित्रावली से तात्पर्य, प्रत्येक वर्ष प्रतिवेदन अधिकारी एवं अनुमोदनकर्ता अधिकारी की अनुशंसा उपरांत +क श्रेणी के लिए 4 अंक क श्रेणी के लिए 3 अंक एवं ख श्रेणी के लिए 2 अंक एवं ग श्रेणी के लिए 1 अंक नियत किया गया है, परंतु नियमितीकरण किए जाने वाले वर्ष के पूर्व 5 वर्षों की गोपनीय चरित्रावली मूल्यांकन का आधार होगी।
- 4.4 विशेष अर्हता/उत्कृष्ट कार्य से तात्पर्य सेवा अवधि के दौरान विशेष अर्हता/उत्कृष्ट कार्य के लिए 05 अंक निर्धारित होंगे। जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने पर 3 अंक, राज्य स्तरीय पुरस्कार प्राप्त होने पर 1.5 अंक विशिष्ट सम्मान या जिला स्तरीय उत्कृष्ट कार्य करने पर 0.5 अंक प्रदान किए जाएंगे, परंतु इनकी गणना पदोन्नति वर्ष से पूर्ववर्ती 5 वर्षों की सम्मिलित की जाएगी। यह भी की कुल मूल्यांकन के समय समिति किसी भी अभ्यर्थी को अधिकतम 05 अंक ही दे सकेगी।
- 4.5 समिति के मूल्यांकन उपरांत चयनीत अभ्यर्थियों की सूची का अनुमोदन प्रशासकीय विभाग के सचिव/प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव से कराएगी। प्रशासकीय विभाग के अनुमोदन उपरान्त चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी की जाएगी।
- 4.6 छानबीन समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन में अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4.7 चतुर्थ श्रेणी पदों पर दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामलों में चयन हेतु मूल्यांकन का आधार अनुक्रमांक 4 (अभ्यर्थियों के मूल्यांकन का आधार क्रमांक 2 एवं 3) के अनुसार होगा।

Bhopal the 1st September 2018

No. F 10-5/2011/23/PES: In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following rules for recruitment and service conditions to the service of Madhya Pradesh Jan Abhiyan Parishad, namely :-

RULES

1. Short title and commencement,-

- (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Jan Abhiyan Parishad Recruitment of Officers and Employees and Service Conditions Rules, 2018.
- (2) These rules shall be applicable from the date of their publication in the Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (a) "Act" means the Madhya Pradesh Society Registration Act, 1973 (No. 44 of 1973);
- (b) "Appointing Authority" in respect of the services means the appointing authority mentioned in Schedule-I;
- (c) "Disciplinary Authority" means the authority mentioned in column (7) of the Schedule I;
- (d) "Executive Committee" means the committee constituted under rule 28;
- (e) "Executive Director" means the executive Director of the Jan Abhiyan Parishad;
- (f) "Governing Body" means the committee constituted under rule 3;

- (g) "Government" means the Government of Madhya Pradesh;
- (h) "Other backward classes" means the citizens of other backward classes specified from time to time by the State Government as amended by notification;
- (i) "Other Perquisites" means the perquisites determined by governing body from time to time;
- (j) "Parishad" means the Jan Abhiyan Parishad;
- (k) "Promotion Committee" means the committee mentioned in the Schedule IV appended to these rules;
- (l) "Schedule" means the Schedule appended to these rules;
- (m) "Schedule Caste" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as schedule caste with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 341 of the Constitution of India;
- (n) "Schedule Tribe" means any caste, race or tribe or part of, or group within a caste, race or tribe specified as schedule tribe, with respect to the state of Madhya Pradesh under Article 342 of the constitution of India;
- (o) "Scrutiny Committee" means the committee mentioned in schedule V of the these rules;
- (p) "Selection Committee" means the committee mentioned in column (5) of the schedule IV appended to these rules;

- (q) "Selection Agency" means any Institution, Authority, Public Sector Unit or autonomous body as prescribed for selection by the executive committee of the Parishad from time to time;
- (r) "Service" means the Madhya Pradesh Jan Abhiyan Parishad Service;
- (s) "State" means the state of Madhya Pradesh;

3. Scope and application,-

Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Madhya Pradesh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of service.

4. Constitution of the Service,-

The service shall consist of the following persons, namely :-

- (1) Those persons who at the commencement of these rules, are holding substantively or permanently the posts specified in schedule-I.
- (2) The persons recruited in the service on contract basis or on regular basis before the commencement of these rules.
- (3) The person who has been recruited in the service as per the provisions of these rules and all the officers and employees working under the Parishad shall be deemed to be officer and employees of the Parishad.

5. Classification, scale of pay etc.-

(1) The classification of service, scale of pay and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in schedule-I:

Provided that the perquisites, medical allowances and travelling allowances shall be paid in accordance with the decision of the governing body.

6. Methods of Recruitment,-

(1) After commencement of these rules, the recruitment to the service on the posts mentioned in schedule-I shall be made by following methods, namely:-

- (a) By exam or by interview or by both as mentioned in column (4) and (5) in the schedule-II.
- (b) By promotion of the member of service as shown in schedule-IV.
- (c) By contract appointment of the retired government servant on such terms and conditions as applicable in the State Government.
- (d) By limited departmental examination or by interview as the case may be from such officers/employees who have been appointed by the Parishad before the commencement of these rules and have completed 3 years continuous service shall be appointed on the recommendation of the scrutiny committee.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or (c) of sub-rule (2) shall not at any time exceed the percentage shown in schedule-II.

- (3) Subject to the provisions of these rules, any specific vacancy or vacancies which are to be filled for a specific period shall be filled by such manner as may be prescribed by the appointing authority.
- (4) Subject to the Provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purposes of filling any particular vacancy or vacancies in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government.
- (5) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government, the exigencies of the service so requires, the Government may adopt such methods of recruitment of the service other than those specified in said sub-rule, as it may prescribe by order issued in this behalf.

7. Appointment to the service:-

All appointments to the service after the commencement of these rules shall be made by the appointing authority and such appointment shall be made only after selection by any by one of the methods of recruitment specified in the rule 6, otherwise not.

- 8. Conditions of eligibility for direct recruitment:-** In order to be eligible to be selected/ to appear in the examination, a candidate must satisfy the following conditions, namely:-

(1) Age:-

- (a) Minimum and maximum age limit shall be as shown in the schedule III. In case advertisement is made in first half of the year, calculation of age shall be made on first day of previous January and in case advertisement is made in second half of the year calculation of age shall be made on first day of next January,
- (b) As per the circulars issued by the General Administration Department from time to time, the relaxation in upper age limit shall be allowed to Madhya Pradesh Government employees and employees of Corporation/Board, Councils, autonomous bodies of the State, contingency paid employees and work charged employees.
- (c) Madhya Pradesh domicile candidates belonging to the schedule castes and schedule tribes and other backward classes shall be allowed for relaxation under section 9 of the Madhya Pradesh Civil Service (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichhde Vargon Ke liye Arakshan) Adhinyam, 1994 (No.21 of 1994) and as per the circulars issued from time to time by General Administrative Department.
- (d) The maximum upper age limit shall be relaxable to for domicile women candidates in accordance with the provisions of the Madhya Pradesh Civil Services (Special provisions for appointment of Women) Rules, 1997.

- (e) The maximum upper age limit shall be relaxable to for domicile Ex servicemen in accordance with the provisions of rule 5 of the Madhya Pradesh Ex servicemen (Reservation in State Civil Service and post of IIIrd and IVth class) Rules, 1985.
- (f) As per the circulars issued by the General Administration Department from time to time the relaxation in upper age limit shall be allowed to the following categories-
- (i) widows, destitute and divorced women
 - (ii) Physically Handicapped person;
 - (iii) Green Card holder under family welfare programme;
 - (iv) Candidates; holders of "Vikram Awards";
 - (v) Rewarded high caste husband/wife of couple under inter caste marriage incentive programme;
 - (vi) Other categories specified by General Administration Department, Government of Madhya Pradesh.
- (2) **Educational Qualifications-** Candidate must possess the educational qualifications prescribed under column (5) of Schedule-III.
- (3) **Fees-** The candidate must pay the fees prescribed by the Selection Agency.

9. Disqualification.-

- (1) Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means, may be held by the Appointing Authority to disqualify him for appearing in examination/ selection.
- (2) Any candidate who has married earlier to the minimum age fixed for marriage shall not be eligible for appointment on the post in the service.
- (3) Any male candidate, who has more than one living wife and female candidate, who has married to a person who already has living wife, shall not be eligible for the appointment.
- (4) Any candidate, who has more than two living children, one of whom is born on or after 26th January, 2001 shall not be eligible for the service or post:

Provided that no candidate shall be disqualified for appointment to the service or post who has already one living child and next delivery takes place on or after 26th January, 2001, in which two or more than two children are born.

- (5) Any candidate, who has been convicted of any offence against women, shall not be eligible for appointment in the service or post:

Provided that where such cases are pending against any candidate in any court, the matter of his appointment shall be kept pending till the final disposal of the criminal case.

10. **Decision about eligibility of candidate-** Regarding eligibility or ineligibility of candidate for selection, decision of Appointing Authority shall be final.

11. **Direct Recruitment.-**

(1) On the post included in the service as shown in schedule I, selection of candidates from time to time shall be made by Appointing Authority after consideration as per vacancies of the sanctioned posts through Direct Recruitment by Competitive Examination.

(2) The examination for the post to be filled up by the selection shall be conducted under such instructions as may be issued by the Governing body or executive committee from time to time.

(3) After the examination for direct requirement, interview/selection committee shall be constituted for interview/selection of the candidate. The interview/selection committee shall determine the numbers of interview and the ratio of number of candidates to be called for each post:

Provided that if the member other than the presiding member of the interview/selection committee does not represent the scheduled caste or scheduled tribe, then a member of scheduled caste or scheduled tribe shall be included in the interview/selection committee and the number of members shall be increased to that extent.

- (4) Posts shall be kept reserved during recruitment through direct recruitment for candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of the Madhya Pradesh Public Service (Reservation for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes), Act, 1994 (No. 21 of 1994).
- (5) Candidates belonging to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes recommended by the appointing authority to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, as the case may be.
- (6) Posts shall be kept reserved for women candidates as per provisions of Madhya Pradesh Public Service (Special provisions for appointment of women) Act, 1997.
- (7) In such cases where experience of certain period is a necessary condition for the post to be filled up by direct recruitment and the appointing authority is of the opinion that candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes and other backward classes may not be available in adequate number then the appointing authority with the consultation of the General

- Administrative Department may relax the condition of experience for candidates belonging to scheduled castes or scheduled tribes and other backward classes.
- (8) If sufficient number of candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward classes are not available for filling all the vacancies, then the remaining vacancies shall not be filled with other candidates and these vacancies shall be reserved for next selection of the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward classes.
- (9) Posts shall be kept reserved for the physical handicapped candidates as per the circular of the General Administration Department.
- (10) Posts shall be kept reserved for the ex-servicemen as per the circular of the General Administration Department.
- (11) In filling the reserved vacancies, the candidates who are members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes shall be considered for appointment in the order in which their names appear in list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.
- (12) Application for direct recruitment shall be listed, having been invited through online or offline. Appointing authority shall be competent to determine process of evaluation for recruitment:

12.

List of Candidates Recommended for Appointment on the posts of service.-

- (1) The appointing authority shall prepare a list arranged in the order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the appointing authority may determine and the list of candidates belonging to the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes, who though not qualified by that standard, but are declared by the Committee to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency in administration and forward to the appointing authority and the list shall also be published for general information
- (2) in the list prepared in accordance with minimum qualification post, if two candidates secure equal marks, candidate having senior degree from desired qualifications or having more experience shall be given priority. Appointing authority shall be competent to recognize experience certificate.
- (3) Subject to the provisions of these rules, the candidates shall be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.
- (4) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Jan Abhinyan Parishad is satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service

- (5) The selection list shall be valid for one year from the date of its issue which can be increase for six months with consent of Jan Abhinyan Parishad / selection agency as may be prescribed.
- (6) Before issuing appointment letter, affidavit of character certificate and medical certificate from chief medical officer of the District as per the directions of General Administration Department shall be required to be submitted.
- (7) On finding of being given false information for eligibility of any candidate / being ineligible, even after publication of selection list, the selection may be rejected.

13. Probation.-

Appointment of the candidates on the post to be filled on recommendation of scrutiny committee/ through regular/ direct recruitment against the vacant posts under Parishad shall be made on probation for a period of 2 years which may be increase for one year:

Provided that this Probation period shall be finished as per the rules and direction of the General Administration Department.

14. Appointment by direct recruitment :-

In case of any vacancy, the vacant post may be filled by direct recruitment and the qualifications for such posts is mentioned in schedule-III.

15. Appointment by promotion:-

(1) Procedure for making promotion in the vacancies of promotion quota shall be in accordance with the instructions issued by general administration department and Jan Abhiyan Parishad from time to time.

(2) There shall be constituted a Departmental Promotion committee consisting of the members mentioned in the Schedule-IV for making selection for promotion of eligible candidates:

Provided that if no member represents scheduled castes or scheduled tribes category amongst other members as directed excluding the member heading the promotion committee, then in that case, a member of the same position shall be included in the promotion committee and the number of members of promotion committee shall be increased up to that limit.

(3) For promotion of members of service as specified in column (2) of Schedule-IV, eligibility of candidate, selection procedure and appointment through promotion shall be as specified in its column (3) as per rules and instructions issued by the Parishad.

(4) The promotion order shall be endorsed to the effect that the appointing authority has followed the provisions of Madhya Pradesh Civil Service (Reservation for Schedule

Castes, Schedule Tribes and other backward classes) Act, 1994 (No. 21 of 1994) and in compliance of the instructions issued in the light of provisions of said Act and rules by the State Government and he is fully aware of the provisions of clause (1) of section-6 of the said Act.

16. Conditions of Eligibility for Promotion.-

The committee shall consider the case of all persons, who on the 1st day of January of that year had completed such number of the years of service whether officiating or substantive on the posts from which promotion is to be made or on any other posts or posts declared equivalent thereto by the Government as specified in column (4) of Schedule-IV and are within the zone of consideration in accordance with provisions of sub-rule (2):

Provided that any junior person shall not be considered for promotion in preference to the persons senior to him only on the basis of his completing the period of service, prescribed under this sub rule.

17. Preparation of list of suitable candidates.-

(1) The Departmental Promotion Committee shall prepare a list of such persons, who satisfy the conditions prescribed in rule 15 and are held by the Committee to be suitable for promotion and this list shall be sufficient to cover the anticipated vacancies on account of

retirement / promotion during the course of one year from the date of preparation of the select list. A reserved list of the 25% of the number of persons included in the said list shall also be prepared to meet the unforeseen vacancies occurring, during the course of aforesaid period.

- (2) The criteria for preparation of selection list shall be as per the rules and regulations issued by the General Administration Department.
- (3) The names of the officers included in the list shall be arranged in order of seniority in the service or posts as specified in column (2) of Schedule-IV at the time of preparation of such select list.
- (4) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

18. **Appointment in service from selection list prepared for promotion,-**

The appointment in the cadre of service of the persons included in selection list shall be made in the same order in which such names appear in the list.

19. **Appointment after retirement :**

- (1) The appointing authority according to the needs from time to time after due consideration may appoint the retired officers/employees after approval of the governing body.

- (2) The selection of candidates shall be made by preparing a seniority list according to the applications received from the applicants for posts included in the service as shown in the schedule-I provided the candidate possesses required qualifications.
- (3) The appointing authority shall be competent to recognise the experience.
- (4) It shall be mandatory for the appointing authority to comply with the instructions/rules issued by the government for reservation.
- (5) Where the vacancies could not be filled up by direct recruitment, the retired officers/employees may be appointed on these posts

20. **Contract appointment and regularisation:**

- (1) Subject to the approval of the scrutiny committee the contract employees/officers working under the Parishad may be appointed on regular basis and the committee may take decision regarding relaxation of educational qualification and age and decision of the governing body of the Parishad shall be final. If the members of the scrutiny committee, other than the presiding officer of the committee does not consist of the members of Scheduled caste or Schedule tribe then one member of same cadre belonging to Scheduled caste or Schedule tribe shall be included in the scrutiny committee and the number of members shall be increased to that extend. The shape and scope of the scrutiny committee is mentioned in schedule V:

Provided that the appointment against the vacant post shall be made on probation for 2 years the recommendation of the scrutiny committee. and such probation may be termination or extended as per the instructions issued by General Administrative Department.

- (2) The appointing authority shall have the powers to have administrative control over the service.
21. **Age of superannuation:** The rules of the state government regarding superannuation of the employees/officers shall be applicable to the employees/officers of the Parishad.
22. **Group Insurance Scheme :** The instructions regarding group insurance scheme issued by the state government shall be applicable to the employees of the service.
23. **Contributory Provident Fund Scheme :** The provision of Employees Contributory Fund Organisation shall be applicable to the members of the service.
24. **Retirement benefits.-** The retirement benefits sanctioned to the state government employees shall be applicable to the members of the service and transfer policy of the State Government shall also be applicable to the members of the service.
25. **Interpretation.-** If any question arises relating to the interpretation of these rules, then it shall be referred to Government whose decision shall be final thereon.

26.

Relaxation.- Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the cases of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to him to be just and equitable:

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

27.

Repeal and saving - All rules corresponding to these rules and in force immediately before their commencement are, hereby, repealed in respect of matters covered by these rules:

Provided that any order made or action taken under the rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

The Above Notification Shall be Considered
Effective from 20.06.2018

By order and in the name of the Governor or Madhya Pradesh,
JITENDRA SINGH RAJE, Dy.Secy.

Schedule – I
(See rule 4 and 5)

Classification of Service, pay scale and number of posts included in the service.

Serial No.	Name of the post included in the Service	Number of the Posts	Classification	Pay scale	Posting	Administrative officer	Appointing Authority
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Executive Director	01	All India Service	Deputation	State Office	State Government	State Government
2.	Director Administration	01	I st class	Deputation 15600-39100+6600 (Grade-Pay)	State Office	State Government	State Government
3.	Director (Sell)	04	I st class	15600-39100+6600 (Grade-pay)	State Office	Executive Director	Executive Committee
4.	Regional Director	02	I st class	15600-39100+6600 (Grade-pay)	State Office	Executive Director	Executive Committee
5.	Deputy Director	02	II nd class	15600-39100+5400 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Committee
6.	Task Manager (Sell)	12	II nd class	15600-39100+5400 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Committee
7.	Account Officer	01	II nd class	15600-39100+5400 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Committee
8.	Divisional Co-ordinator	10	II nd class	15600-39100+5400 (Grade-Pay)	Divisional Office	Executive Director	Executive Committee
9.	Computer Programmer	01	II nd class	9300-34800+4200 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Committee
10.	District Co-ordinator	51	II nd class	9300-34800+4200 (Grade-Pay)	District Office	Executive Director	Executive Committee
11.	Block Co-ordinator	313	Class III	9300-34800+3200 (Grade-Pay)	On Block Level	Executive Director	Executive Director
12.	Steno	01	Class III Clerical	5200-20200+2800 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
13.	Investigator	01	Class III Clerical	5200-20200+2800 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
14.	Assistant Grade-1	01	Class III Clerical	5200-20200+2800 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
15.	Senior Designer	02	Class III Clerical	9300-34800+3600 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
16.	Accountant (State Level)	03	Class III Clerical	5200-20200+2400 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
17.	Assistant Grade-2	01	Class III Clerical	5200-20200+2400 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
18.	Accountant (Divisional Level)	10	Class III Clerical	5200-20200+2400 (Grade-Pay)	Divisional Office	Executive Director	Executive Director
19.	Accountant Cum- Clerk	51	Class III Clerical	5200-20200+2100 (Grade-Pay)	District Office	Executive Director	Executive Director
20.	Computer Operator	01	Class III Clerical	5200-20200+2100 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
21.	Computer Operator (Sell)	04	Class III Clerical	5200-20200+2100 (Grade-Pay)	State Office	Executive Director	Executive Director
22.	Data Entry Operator	63	Class III Clerical	5200-20200+1900 (Grade-Pay)	State, Divisional & District Office	Executive Director	Executive Director
23.	Librarian	01	Class III Clerical	5200-20200+2800 (Grade-Pay)	State & Divisional Office	Executive Director	Executive Director
24.	Assistant Grade-3	11	Class III Clerical	5200-20200+1900 (Grade-Pay)	State & Divisional Office	Executive Director	Executive Director
25.	Peon / Chaukidar	67	Class IV	4440-7740+1300 (Grade-Pay)	State, Divisional & District Office	Executive Director	Executive Director

Schedule – II
(See rule 6)
Process Of Recruitment

No.	Name of the post	Total Number of Duty Post	Percentage of Number of duty posts to be filled		Transferred from other temporary (Adoc) Services	Remarks
			By Direct Recruitment	Promotion		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Executive Director	01			-	Appointment by Government By Deputation
2.	Director Administration	01			-	
3.	Director (Sell)	04		100%		
4.	Regional Director	02		100%		
5.	Deputy Director	02		100%		
6.	Task Manager (Sell)	12	100%			
7.	Account Officer	01	100%			
8.	Computer Programmar	01	100%			
9.	Regional Co-ordinator	10		100%		
10.	District Co-ordinator	51		100%		
11.	Block Co-ordinator	313	100%			
12.	Steno	01	100%			
13.	Investigator	01	100%			
14.	Assistant Grade-1	01		100%		
15.	Senior Designer	02	100%			
16.	Accountant (State Level)	03		100%		
17.	Assistant Grade-2	01		100%		
18.	Accountant (Regional Level)	10		100%		
19.	Accountant Cum- Clerk	51	100%			
20.	Computer Operator	01		100%		
21.	Computer Operator (Sell)	04		100%		
22.	Data Entry Operator	63	100%			
23.	Librarian	1	100%			

(1)	(2)	(3)	Percentage of Number of duty post to be filled		(6)	(7)
			By Direct Recruitment	Promotion		
24.	Assistant Grade-3	11	75%	25% from the peon Cadre	-	-
25.	Peon / Chaukidar	67	100%	-	-	-

Schedule – III
(See rule 8 and 9)

Age & Qualification of the person for direct recruitment

No.	Name of Service	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Prescribed Educational Qualification	Experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Task manager (Sell)	25	40	Master Degree with II nd Division in Science/ Social Science/M.B.A/M.S.W	-
2.	Account Officer	25	40	Post Graduation with commerce from any recognised Institution	-
3.	Computer Programmar	25	40	MCA from any recognised Institution	-
4.	Block Development Co-ordinator	25	40	Graduation Degree from any recognised University & Preference to having knowledge of computer in Hindi and English	3 Years working Experience in any reputed social Institution.
5.	Steno	25	40	Graduate & Hindi & English shorthand and typing examination passed from Directorate of Public Education proficiency in MS office, DCA. passed	3 Years working experience in any reputed Institution.
6.	Investigator			Post Graduate in Mathematics/ Statistics with II nd Divison, proficiency in M.S. Office	
7.	Senior Designer	25	40	Graduate from any recognised university and diploma or certificate from a recognised Institution in coraldraw, photoshop and Pagemaker	3 Years working experience of designing work from a reputed Institution in Pagemaker, Photoshop, coral draw.
8.	Accountant Cum- Clerk	25	40	Graduation with commerce subject from any recognised university	As per shown in coloum-(4) of Schedule- IV
9.	Data Entry Operator	25	40	Graduate from any recognised university and P.G.D.C.A examination passed	3 Years data Entry experience in any reputed Institution.
10.	Librarian	-	-	Degree of B.Lib from any recognised University	
11.	Assistant Grade-3	25	40	Minimum Graduate from any recognised University and Certificate of computer Typing from a Authorised Institution by the State Government	As per shown in coloum-(4) of sechedule-IV.
12.	Peon Chaukidar	25	40	Class 8 th Passed	-
		25	40	Class 5 th Passed	-

Schedule – IV

(See rule 14)

Service experience for Promotion and member of department Promotion committee.

Serial No.	Name of Service on post from which promotion is to be made	Name of the post to which promotion is to be made	Experience of that post to which promotion to is to be made	Constitution of the selection committee	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Task Manager (Sell)	Director (Sell)	08 Years in Case of vacant post	1. Executive Director, jan Abhiyan Parishad - Chairman 2. 02 Subject specialist - member 3. One officer of reserve category - member	-
2.	Deputy Director/ Divisional Co-ordinator	Regional Director	08 years	- do -	-
3.	District co-ordinator	Deputy Director/ Divisional co-ordinator	08 years	- do -	-
4.	Block Development co-ordinator	District co-ordinator	06 years	- do -	-
5.	Assistant Grade-2/ Accountant	Assistant Grade-1	10 Years	- do -	-
6.	Assistant Grade-3/ Accountant Cum- clerk	Assitant Grade-2 / Accountant	10 Years	- do -	-
7.	Data Entry Operator	Computer Operator	10 Years	- do -	-
8.	peon	Assistant Grade-3	10 Years	- do -	-

Note:- Such Post to whom occasion of Promotion are not due to Unavailability of the Post. on those will be time -scale Eligibility according to Government rules, on those for the post of class second the nature of selection committee will be as per constituted committee on serial no.1

Schedule -V
(See rule 19)

"Scrutiny Committee"

1. Under the rule 20 of Madhya Pradesh Jan Aabhiyan Parishad Recruitment of Officers/ Employees condition of service Rule-2018 the following 4 Membered Scrutiny Committee shall be Constituted, Provided if excluding the member Presiding over scrutiny committee, from the other members nominated, any member does not represents the category of scheduled caste or Scheduled tribe, then a member of Scheduled caste or Scheduled Tribe category of the same status shall be included in the scrutiny committee and the numbers of members shall be increase upto that limit.

2. Nature of scrutiny committee:-

- (1) Chairman
- (2) Member
- (3) Member
- (4) Member (from Scheduled Cast/Scheduled tribe Category)
- (5) Member Secretary

2.1 Chairman Scrutiny Committee means such person who have experience of 25 years in the field of social development.

2.2 Member of Scrutiny committee means such subject experts who have 20 years experience in the field of social development.

2.3 Member Secretary of scrutiny committee means the executive director of M.P Jan Abhiyan Parishad.

3. Work area of committee:-

Process of regularisation in service:- After the Sanctioned of these rules the process of regularisation in service of the working officers/Employees (Included class fourth employees working on daily wages rates) on contract posts in the parishad shall be completed on the basis of evaluation done by the scrutiny committee, namely:-

4. Ground of Evaluation:-

The Evaluation of candidates shall be done by the scrutiny committee as follows:-

No.	Ground of Evaluation of the candidates	Total Marks
1.	Interview	50
2.	Service period	25
3.	Confidential character report	20
4.	Special Qualification/ Excellent work	05
Total:-		100

4.1 The evaluation of candidates shall be done on the basis of Departmental activities of interview council, previously done departmental works and mutual discussion on related subjects with the candidates by the subject experts. For this 50 marks has been fixed. On the average marks given by the member of each committee the marks of interview shall be given to the candidates.

4.2 Service Period means 2.5 marks shall be determined for each Successful year from the date of appointment on contract service (Successful year means from 1 January upto 31 December) For this Maximum 25 Marks has been Fixed.

4.3 Confidential character report Means, every year after the recommendation of reporting officer and approving officer 4 marks for class +A, 3 marks for class A, 2 marks for class B and 1marks for class C has been fixed, but the confidential character report of last 5 years from the year of regularisation, shall be the ground of evaluation.

4.4 Special Qualification/excellent work means, 05 marks shall be determined for special qualification/excellent work during the service period. In which 3 marks shall be given for receiving National award, 1.5 marks for receiving State level award, 0.5 marks shall be given for distinctive honour or for doing district level excellent work, but calculated by including previous 5 years from the year of promotion. Also that at the time of total evaluation the committee may give maximum 05 marks to any candidate

4.5 After the evaluation by committee the approval of the list of selected candidates shall be made by the secretary/principal secretary/Additional chief secretary of the administrative department and after the approval of administrative department the list of selected candidates shall be issued.

4.6 It shall be compulsory for the candidate to obtain minimum 50 marks in the evaluation made by the scrutiny committee.

4.7 In the matters of regularisation of daily wages working employees on class IV posts, the ground of evaluation for selection shall be as per serial number 4 (the grounds of evaluation of the candidate shall be as per number 2 and 3).